ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 349-352
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

भारत में ग्रामीण विकास : चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ0 पारस नाथ मौर्य
एसोशिएट प्रोफेसर– अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0), भारत

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है जहाँ प्राचीन समय से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत की दो–तिहाई आबादी गांवों में ही निवास करती है। यहाँ धारणा रही है कि देश की खुशहाली एवं समृद्धि का रास्ता गाँव की गलियों से होकर ही गुजरता है परन्तु, आज आजादी के सात दशक बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की गति धीमी है और यह क्षेत्र अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य सुविधाओं, जनसंख्या की अधिकता, कुशलता की कमी, कमजोर आधारभूत संरचना, गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता आदि विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में, आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु गाँवों को विकास की मुख्यधारा में लाना नितान्त आवश्यक है। प्रस्तुत शोध–पत्र में भारत में ग्रामीण विकास की चुनौतियों, इनके निराकरण हेतु किये गये उपायों एवं सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ– वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाना आवश्यक है परन्तु, इन क्षेत्रों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो निम्नलिखित हैं:

जनंसख्या की अधिकता– विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे देश भारत में ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल्य है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भाग (83.3 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है जिसका अधिकांश भाग आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या की स्थिति में सभी को शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। जनसंख्या का भार बढ़ने पर गाँवों में खेत छोटे–छोटे भागों में बंट जाते हैं जिसका परिणाम खेतों की उत्पादकता में कमी के रूप में होता है।

कृषि में विभिन्न सुविधाओं की कमी– भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 64 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर जीवकोपार्जन हेतु निर्भर है। देश की राष्ट्रीय आय में एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से ही जुड़ता है। कृषि विभिन्न उद्योगों का आधार है। निर्यात में भी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण कृषि में निरन्तर उतार–चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र के मात्र 34.5 प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं और यह प्राथमिक रूप से मानसून पर निर्भर है। देश में कृषि के 40 प्रतिशत भाग का ही मशीनीकरण हुआ है। इस क्षेत्र में वित्त के साथ ही बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इससे अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में विकास दर निम्न है।

गरीबी की व्यापकता– भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व्याप्त है। इसके कारण ग्रामीण जनसंख्या को विभिन्न अभावों में जीवन यापन करना पड़ता है। भारत में ग्रामीण गरीबी एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी के आधार पर मापी जाती है। इस मानदण्ड के आधार पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने ग्रामीण गरीबी का अनुमान लगाया है, जैसे– वी. एम. दांडेकर एवं एन. के. रथ के अनुसार वर्ष 1960–61 में ग्रामीण क्षेत्र में 13.1 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे थे जबकि वर्ष 1967–68 में यह संख्या 16.67 करोड़ थी। वर्ष 1973–74 से 2004–05 की अवधि में देश में गरीबों की संख्या में 321.3 मिलियन से बढ़कर 407.1 मिलियन हो गयी, जबकि वर्ष 2004–05 से 2011–12 के बीच यह संख्या घटकर 269.3 मिलियन पर आ गई। वर्ष 1973–74 से 2011–12 की अवधि में गरीबी का प्रतिशत 54.9 से घटकर 21.9 पर आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत 56.4 से घटकर 25.7 पर आ गया जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 49. 0 प्रतिशत से 13.7 प्रतिशत पर आ गया। पिछले दशकों के आँकड़ों दर्शाते हैं कि देश में गरीबों की संख्या एवं प्रतिशत में कमी तो आयी है परन्तु, शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में अभी भी यह अधिक है।

बेरोजगारी– देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भी एक चुनौती है। इस बेरोजगारी का कारण पूँजी तथा अन्य साधनों का अभाव और श्रम की प्रचुरता है। कृषि में लोगों को पूरे वर्ष भर रोजगार नहीं मिल पाता है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी (विशेषकर अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी) की समस्या विद्यमान रहती है जिससे श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं

अनुरूपी लेखक

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

हो पाता है। भारत में वर्ष 2004–05 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति का 2.1 प्रतिशत 'सामान्य' स्थिति में बेरोजगार था, जबकि 3.8 प्रतिशत 'साप्ताहिक' स्थिति में तथा 8 प्रतिशत 'दैनिक' स्थिति में बेरोजगार था। वर्ष 2009–10 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एक हजार लोगों पर 16 लोग बेरोजगार थे। वर्ष 2015–16 में भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की दर 3.4 प्रतिशत रही।

ऋणग्रस्तता की समस्या– कृषकों की ऋणग्रस्तता भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं में से एक है। ऋणग्रस्तता से तात्पर्य उस ऋण राशि से हैं जिसका ऋणदायी संस्थाओं को भुगतान करना है अर्थात् यह ऋणदायी संस्थाओं की बकाया राशि का द्योतक होती है। देश की अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होते हुए भी कृषक ऋण के भारी बोझ से दबे हैं और गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। शाही कृषि आयोग के अनुसार, 'भारतीय कृषक ऋण का बोझ कन्धे पर लेकर जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मरता है।' इसका अर्थ है कि जब कृषक परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उसके पूर्वज ऋणग्रस्त होते हैं। जब वह स्वयं कृषक का कार्य करता है तो ऋणों का भार उस पर होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो ऋणों का भुगतान न कर पाने के कारण वह उसका भार अपने बच्चों पर छोड़ जाता है। इस प्रकार, कृषकों पर ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।

देश में समय–समय पर अनेक विद्धानों एवं समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता का अनुमान लगाया है जिससे पता चलता है कि इनकी मात्रा में सदैव ही वृद्धि होती रही है। सर्वप्रथम अकाल आयोग ने सन् 1901 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत के 80 प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त हैं। सर एडवर्ड मैक्लागन ने 1911 में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अनुमान 300 करोड़ रूपये लगाया था, जबकि केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने 1930 में इसकी मात्रा 900 करोड़ रूपये बतायी थी। भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने 1951–51 में ऋणग्रस्तता का अनुमान 750 करोड़ रूपये लगाया था। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण, 1961–62 ने कुल ग्रामीण ऋणग्रस्तता 1,034 करोड़ रूपये बतायी थी। रिजर्व बैंक के आर्थिक विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, ऋणग्रस्तता 3,848 करोड़ रूपये है जिसमें से 96 करोड़ रूपये वस्तुओं में तथा शेष नकदी में है। इस ऋण का 88 प्रतिशत कृषकों द्वारा तथा शेष 12 प्रतिशत कृषि श्रमिकों, कारीगरों एवं अन्य दस्तकारों द्वारा लिया गया है।

प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का निम्न स्तर– प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एक समाज के जीवन–स्तर का सूचक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अत्यन्त कम है और शहरी एवं ग्रामीण औसत उपभोग में भारी अन्तर है। राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2011 से जून 2012 की अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय 2,630 रूपये की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1,430 रूपये है। यह आँकड़े भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जीवन–स्तर को दर्शाते हैं। इसमें सकारात्मक पहलू यह है कि राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन के प्रारम्भिक आंकड़ों पर आधारित मार्केट रिसर्च एण्ड रेटिंग एजेन्सी 'क्रिसिल' की रिपोर्ट के अनुसार 2009–10 से 2011–12 की अवधि में ग्रामीण भारत के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में इस व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य की निम्न स्थिति– विभिन्न विकसित एवं विकासशील देशों में किये गये अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर किया गया निवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। परन्तु, स्वतन्त्रता के कई दशक बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अशोधित मृत्यु दर 9 प्रति हजार है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.3 प्रति हजार है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर यप्दजिज डवतजंसपजल तंजमद्ध 45.5 प्रति हजार जीवित जन्म है जबकि शहरी क्षेत्रों में 28.5 है। इन क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर यनदकमत.पिअम उवतजंसपजल तंजमद्ध क्रमशः 56 प्रति हजार जीवित जन्म एवं 34 प्रति हजार जीवित जन्म है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18.5 प्रतिशत बच्चे 2.5 किलोग्राम से कम वजन के पैदा होते हैं। इन क्षेत्रों में 41 प्रतिशत बच्चों का सही विकास नहीं हो पाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में 12–23 माह के शिशुओं में से केवल 61.3 प्रतिशत ने ही सभी अनुमोदित वेक्सीन ली है जबकि 6.4 प्रतिशत ने कोई वेक्सीन नहीं ली है। इन क्षेत्रों की 54 प्रतिशत महिलाएँ एवं 25 प्रतिशत पुरूष रक्तअल्पता से पीड़ित हैं। इन क्षेत्रों में प्रति एक लाख व्यक्तियों में 345 व्यक्ति टी.बी. की बीमारी से ग्रस्त हैं जिनमें से प्रति एक लाख 332 व्यक्तियों का चिकित्सकीय उपचार हुआ है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 51.7 प्रतिशत महिलाएँ ही गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग करती हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

सुविधाओं का सबसे कमजोर पक्ष संचारी रोगों को नियन्त्रित करने में असफल रहना है। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए तकनीक एवं विशेषज्ञता तो है परन्तु, सार्वजनिक सुविधाएँ अपर्याप्त हैं जबकि निजी सुविधाएँ अनियमित एवं खर्चीली है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा एक अनुमान व्यक्त किया गया था कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च है और अस्पतालों में भर्ती होने वाले बहुत से भारतीयों की जेब अस्पताल खर्च में ही खाली हो जाने से वे गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं।

शिक्षा की निम्न दर– शिक्षा को विकास की सीढ़ी, परिवर्तन का माध्यम एवं आशा का अग्रदूत माना जाता है। ब्रिटिशकालीन औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में स्वतन्त्रता के समय साक्षरता दर मात्र 18.33 प्रतिशत थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु किये गये नियोजित प्रयासों के प्रतिफलस्वरूप शिक्षा की दर में निरन्तर प्रगति हुई और यह 1961 में 28.3 प्रतिशत, 1971 में 34.45 प्रतिशत, 1981 में 43.57 प्रतिशत, 1991 में 52.21 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 में बढ़कर 64.83 प्रतिशत हो गयी। जनगणना 2011 में देश में शिक्षा की दर 74.04 प्रतिशत आंकलित की गयी है जिसमें 2001 की तुलना में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है परन्तु, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति शहरों की तुलना में बहुत उल्लेखनीय नहीं है। देश में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की दर 85 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 68.9 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता भी निम्न स्थिति में है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र विकास में बाधक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर कम होने से ग्रामीणजन विभिन्न जानकारियों एवं तकनीकों से अनभिज्ञ रहते हैं और प्रायः उच्च आय से वंचित रहते हैं।

गांव से नगरों की ओर प्रवास– प्रवास का मुख्य कारण 'रोजगार के अवसरों' की खोज है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा के अवसर जैसे कारक लोगों को गांव तथा छोटे कस्बों से शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य एवं विभिन्न आधुनिक सुविधाओं के अभाव के कारण इन क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर प्रवास करने के लिए विवश होते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार, देश में अन्तःराज्यीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रवास लगभग 9.8 करोड़ था, जिनमें से 6.1 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3.6 करोड़ नगरीय क्षत्रों में प्रवास हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के प्रवास प्रवाह (7.3 करोड़) में गांव से शहर प्रवास 2.0 करोड़ तथा गांव से गांव प्रवास 5.3 करोड़ था। प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का हिस्सा घटकर 68.84 प्रतिशत रह गया है जो 50 वर्ष पूर्व लगभग 82 प्रतिशत था। शहरों की ओर प्रवासित आबादी को भी अपने घरों से दूर नगरों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम– ग्रामीण विकास का तात्पर्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन–स्तर ऊँचा उठाना है। इस प्रक्रिया में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों पहलुओं का समावेश होता है। इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओंध्कार्यक्रमोंध्अभियानों का क्रियान्वयन किया गया है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मिशन इन्द्रधनुष, सर्व शिक्षा अभियान, अन्त्योदय अन्न योजना, मेक इन इण्डिया, स्टार्ट–अप इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, भारत निर्माण कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं।

निष्कर्ष– विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनकी आधी से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती हो और ग्रामीण क्षेत्र उस देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का आधार हों। भारत में एक ओर जनसंख्या का अधिकांश भाग गाँवों में निवास करता है तो दूसरी ओर अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि के द्वारा आजीविका प्राप्त करती है। देश की राष्ट्रीय आय में एक बड़ा अंशदान ग्रामीण समुदाय द्वारा किये जाने के बाद भी गांव विकास की दौड़ में पीछे छूट गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की गति धीमी है और यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं। आज भी देश में करोड़ों ग्रामीण लोग आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं। आज क्रय शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होने के बाद भी करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने के लिए अभिशप्त हैं। ऐसे में तीव्र गति से विकास करने की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को अनदेखा नहीं किया जा

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

सकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना अपरिहार्य हो गया है क्योंकि, अद्यतन परिवर्तनशील प्रणाली में ग्रामीण विकास देश की भावी आर्थिक बेहतरी एवं समग्र विकास की कुँजी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल एवं राजन, वाई.एस. (2002): भारत 2020 – नवनिर्माण की रूपरेखा, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली।
2. कुमार, राजीव (2009): ग्रामीण विकास के लिए चाहिये नया दृष्टिकोण, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, जनवरी।
3. यादव, एस. एस.: ग्रामीण विकास के नये क्षितिज, मानक पब्लिकेशन्स प्रा0 लिमिटेड, 1994।
4. सिंह, मनमोहन (2007): कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना प्राथमिकता वाले क्षेत्र, योजना, नई दिल्ली, अप्रैल।
5. Ahluwalia, Montek (1978) : Rural Poverty and Agricultural Performance in India, The Journal of Development Studies.
6. Chattopadhyay, B.C. (1985) : Rural Development Planning in India, S. Chand & Co. Ltd., New Delhi.
7. GOI : Census of India-2011, Office of the Registrar General and Census Commissioner, (website:www.censusofindia.com)
8. IIPS (2015-16) : National Family Health Survey-4, International Institute for Population Sci ences, Mumbai, (Ministry of Health & Family Welfare, GOI).
9. Narasaiah, M. Lakshmi (2003) : Approaches to Rural Development, Discovery Publishing House, New Delhi.

,,,,,

*****

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14